निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1932 (श0)

(सं0 पटना 462) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

8 जून 201.0

सं0 निग0/सारा–4–(पथ) आरोप–88/09–8601 (एस)—श्री राजकिशोर प्रसाद, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 13250, सह–पठित ज्ञापांक 13251 (एस), दिनांक 17 नवम्बर 2009 द्वारा निलंबित किया गया तत्पश्चात आरोप प्रपत्र ''क'' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 15489 (एस) अनु0 दिनांक 30 दिसम्बर 2009 द्वारा श्री प्रसाद से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान पत्रांक शून्य, दिनांक 15 फरवरी 2010 की विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अधिसूचना संख्या 4823 (एस), दिनांक 01 अप्रील 2010 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10) एवं

(ii) तीन वेतन वृद्धियाँ पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री प्रसाद पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक शून्य दिनांक 22 अप्रील 2010 समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि इन्होंने अपने पूर्व बचाव बयान की ही पुनरूक्ति की है। श्री प्रसाद उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे सुविचारित शास्ति पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक विचरोपरांत सरकार द्वारा श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)–अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in